अनुसूची 2। - फार्म सं० 113

3-1177

2578

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

9873

प्रमाण-पत्र संख्या ..... । ..... आवेदन सं० ..... 1/1/17

चूंकि श्री Shatrughny Kumar Singh

ने मेरे समक्ष आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये कथन के अनुसार विवरण है।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अभिलेखों में सन् 2005 ..... 19 ..... को या लगभग ..... तारीख को किये गये ..... और ऐसी जांच के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला ..... चला है अतः

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मौ०	तेम	रेहन	पलटू				
दाग १७ खपाई		Bihari	71	1325				
21		Sarkar						

Scanned by CamScanner

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. बंधक पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वकील को उनके बारे में जानकारी हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित कराता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): Radhan Y.D. Ashok

(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और प्रतिलिपि को जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): Alankara.

(पदनाम):

कार्यालय: Dhanbad

तारीख: 3-11-2017

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पूरे गये (या यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निर्बंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-45 के अधीन जो व्यक्ति (पार्टियां) और अनुक्रमाणियों (इन्डेन्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्बंधित दस्तावेजों के अवभारों में [illegible] और अनुक्रमाणियों उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये उन संव्यवहारों और अवभारों को छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जी निबंधन: Dhanbad

आय संख्या: 4556 दिनांक: 3/11/17

आवेदक श्री: [illegible]

का अवभार प्रमाण पत्र द्वारा: [illegible]

का दस्तावेज संख्या: [illegible] दिनांक: 30/10/17 के प्रमाण में प्रमाणपत्र की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,
Dhanbad
3/11/17

SPL_46(M)-2.00,000

Scanned by CamScanner